14-05-2015

समय 1.00 बजे पुकारें लगवायी गई। वादी द्वारा श्री रमन झा, अधिवक्ता उपिस्थत। प्रतिवादी द्वारा श्री आर.के.बाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है किन्तु साक्षीगण अनुपस्थित है। वादी अधिवक्ता ने बिना कोई पर्याप्त कारण प्रकट किये साक्ष्य हेतु स्थगन चाहा जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने घोर आपत्ति प्रकट की। इस पर न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि वे यदि स्थगन चाहते है तो इस संबंध में विहित आवेदन प्रस्तुत करे, अन्यथा वादी साक्ष्य प्रस्तुत करे। इस स्तर पर वादी अधिवक्ता ने आवेदन अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा।

प्रकरण चायकाल पश्चात् ३.०० बजे पुनः रखा जावे।

## (सचिन ज्योतिषी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बालाघाट

पुनश्च–

Time 3.00 PM

पुकारें लगवायी गई। वादी अनुपस्थित उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी द्वारा श्री बाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। थोड़ी देर बाद पुनः रखा जावे।

> सचिन ज्योतिषी द्वितीय व्य.न्या. वर्ग–2 बालाघाट

पुनश्च-

समय 4.30 बजे

पुनः पुकारं लगवायी गई।

वादी अनुपस्थित उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी द्वारा श्री बाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य के स्तर पर सुनवाई तिथि पर नियत है किन्तु वादी बिना किसी दर्शित पर्याप्त कारण के अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, यह प्रकरण नियत दिनांक 02. 05.2014 से वादी साक्ष्य के स्तर पर नियत है इस हेतु वादी

पक्ष द्वारा चाहे जाने पर अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं किन्तु वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, आज सुनवाई तिथि है और वादी तिबना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में व्य.प्र.सं. के आदेश 17 नियम 3 की परिस्थितियाँ दर्शित होती है और यह प्रकट होता है कि वादी जिसे साक्ष्य पेश करने तथा साक्षियों को हाजीर कराने हेतु समय अनुदत्त किया गया है, साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, चूंकि आज दिनांक को वादी अनुपस्थित है अतः प्रकरण व्य.प्र.सं. के आदेश 17 नियम 3 (ख) के अंतर्गत लेते हुए व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 8 के अनुरूप खारिज किया जाता है।

व्यय पत्रक बनाया जावे।

उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेगें।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी—अ में ''वाद सुनवाई तिथि पर वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया'' अंकित कर अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार भेज दिया जाये।

सचिन ज्योतिषी द्वितीय व्य.न्या. वर्ग—2 बालाघाट